[Shri S Nanjesha Gowda]

must be dealt with firmly I want this assurance from the Home Minister Shri Grover is humiliated, the hon Governor is humiliated, they are humiliating everybody You can very well see how Mr Sathe behaves here His friends behave in the same way

MR SPEAKER Please do not go into these matters

SHRI S. NANJESHA GOWDA I want an assurance from the hon Home Minister that all possible steps would be taken against the economic offenders At the same time I want the Grover Commission to function smoothly Advocates must go and present their cases freely and frankly Witnesses must go and speak frankly This must be looked after

SHRI CHARAN SINGH I have already given a reply

MR SPEAKER Prof P G Mavalankar—not here

Shri Ainthu Sahoo—not here

SHRI VASANT SATHE Are the remarks against the Chief Minister which were made by the hon Member Shri Gowda allowed to remain?

MR SPEAKER I shall examine if there are any defamatory remark

SHRI VASANT SATHE Not only defamatory remarks Rule 352 says, even against persons in high authority" which includes Chief Minister, no such words can be used Kindly see that

MR SPEAKER I will see that

श्री गौरी शंकर राय : मान्यवर निवेदन यह करना है कि अभी हमारे मित्रों ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है कि उस आदमी का जिक्र न हो जो यहां मौजूद न हो। लेकिन जितने करप्ट लोगों के खिलाफ कमीशन बने हैं वहां इनकी तरह हर आदमी को बुलाया जायगा यह सम्भव नहीं है।****

MR SPEAKER: No, not don't record that I am expunging

---

12 42 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(1) REPORTED STRIKE BY EMPLOYEES OF INDIAN OIL CORPORATION ON 22-3-78

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं। गत 22 मार्च को इंडियन आयल कारपोरेशन के लगभग तीन हजार अधिकारियों ने अपनी कुछ मांगों को ले कर यकायक आकस्मिक अवकाश पर चले गये और हड़ताल कर दी। इसके कारण बरौनी हल्दिया, गौहाटी स्थित रिफाइनरीज का सारा कामकाज ठप्प हो गया और इस काम-काज के ठप्प होने से कारपोरेशन को करोड़ों रुपये की हानि हुई। इस सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है उससे लगता है कि इंडियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी बातों का स्वीकार नहीं किया गया तो आगे चल कर ऐसी परिस्थिति फिर पैदा हो सकती है और रिफाइनरीज से सम्बन्धित अधिकारी फिर से सामूहिक अवकाश के जरिये हड़ताल कर सकते हैं। इसलिए और उसमें अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए इस विषय को गम्भीरता

****Expunged as ordered by the Chair

से किया जाना चाहिए। अगर इन रिफाइनरीज का काम ठप्प होता है तो हमारे देश की करोड़ों रुपये की हानि होगी। इसलिए इस विषय पर मंत्री महोदय बताय कि इस सामूहिक अवकाश के क्या कारण थे, उन अधिकारियों की क्या मांग थी और आगे इस हड़ताल को न होने देने के लिए और उन अधिकारियों की मांगों की पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। तथा एक हड़ताल या सामूहिक अवकाश के कारण कितनी हानि हुई ।

(ii) MEDICAL OFFICERS OF NATIONAL HEALTH SERVICES

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, नियम 377 के अन्तर्गत, 484 नेशनल मेडिकल आफिसर्स जो नेशनल हैल्थ, सर्विसिज में है, के विषय मे कुछ कहना चाहता हू ।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य और दु.ख होगा कि इन डाक्टरो मे से कुछ की गत दस वर्षों मे और कुछ की गत 13 वर्षों से कन्फर्मेशन नही की गयी है और न उन को कोई प्रमोशन दी गयी है। नियम के अनुसार, इनकी नियुक्ति के पाच वर्ष के पश्चात् इनका नाम डी० पी० सी० या डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में भेजा जाना चाहिये था। 13 वर्ष के पश्चात् भी इनका नाम डी०पी०सी० को नहीं भेजा गया। इसके सम्बन्ध मे मैंने सदन में प्रश्न भी पूछा था और स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था लेकिन आज तक इन डाक्टरो की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे पत्र के उत्तर में कहा गया था कि दिसम्बर, 1977 में डी०पी०सी० होगी लेकिन वह भी काम अभी तक नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो इन सारे 484 डाक्टरों की सूची जिनका गत 10 या 13 वर्षों से कन्फर्मेशन या प्रमोशन नही हुआ है, मैं सभा पटल पर रख दूगा । अध्यक्ष महोदय मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय को यह निर्देश दे कि सरकार नियमों का इन डाक्टरो के मामले में पालन करे। और उन का शीघ्र से शीघ्र कनफर्म करें। नियमों के अनुसार उन का प्रोमोशन भी होना चाहिए ।

बहुत दुख की बात है कि ये जो डाक्टर हैं ये यू. पी. एस. सी. के जरिये रिक्रूट हो कर आए हैं और इन के बाद आए हुए जो दूसरी जगह चले गए हैं वे फिर आकर उन से सीनियर हो जाते है। जो निष्ठापूर्वक सी. जी. एच. एस. मे काम कर रहे है उन की दस से 13 वर्ष तक पदोन्नति का सवाल तो अलग रहा उनको आज तक कनफर्म भी नही किया गया है ।

इन 484 डाक्टरों की सेवाओं को शीघ्र से शीघ्र नियमो के अनुसार कनफर्म किया जाए और उन का जल्दी से जल्दी डी० पी० सी० के पास भेजा जाए। इन डाक्टरो को यह शक है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय में कुछ प्रशासक बैठे हुए है जो उन के खिलाफ साजिश कर रहे है और इन के केसिस वे डी० पी० सी० के पास नही भेज रहे है। यह बहुत दुःख की बात है कि क्वालिफाइड डाक्टरो को दस बरस तक अनकनफर्म्ड रखा जाए ।

(iii) REPORTED DISCONTENTMENT AMONGST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES FOR NON-PAYMENT OF ADDITIONAL DA IN CASH.

श्रीमती अहिल्या पी. रांगनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : केन्द्रीय कर्मचारियों को महगाई भत्ते की जो किश्त मिलनी चाहिये थी

*The Speaker not having sub-sequently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.